



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-15022025-261081
CG-RJ-E-15022025-261081

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 762]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2025/माघ 24, 1946

No. 762]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2025/MAGHA 24, 1946

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे)

अधिसूचना

कोटा, 13 फरवरी, 2025

का.आ. 766(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में नागदा – कोटा सेक्षन के मध्य झालावाड़ जिले में समपार संख्या 28 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है;

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम कि धारा 20व की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा; प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उपखंड अधिकारी, उपखंड गंगधार, जिला झालावाड़ को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रक्रियनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जाँच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा;

उक्त अधिनियम कि धारा 20व कि उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि योजना और अन्य व्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में नागदा – कोटा सेक्षन के मध्य झालावाड़ जिले में समपार संख्या 28 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य की विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रण की जानेवाली संरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य : राजस्थान

जिला : झालावाड़

गाँव :	किटिया	भूमि का प्रकार	भूमि का उपयोग	तालुका : गंगधार
क्रमांक	सर्वे न.	भूमि का प्रकार	भूमि का उपयोग	भूमि अर्जन का विस्तार (हेक्टेयर में)
1	1641	सरकारी	गै. मु. चाह	0.0183
2	1642	सरकारी	बंजर	0.0108
3	1645	निजी	कृषि	0.0352
4	1646/1	निजी	कृषि	0.1366
5	1827/1	निजी	कृषि	0.0035
6	1828	निजी	कृषि	0.0131
7	1828/1	निजी	कृषि	0.0083
8	1829	निजी	कृषि	0.0183
9	1829/1	निजी	कृषि	0.0036
10	1830	सरकारी	बंजर	0.0898
11	1831	निजी	कृषि	0.0103
12	1852	निजी	कृषि	0.0609
13	1853	सरकारी	बंजर	0.0537
14	1854	सरकारी	गै. मु. रास्ता	0.0861
15	1855	निजी	कृषि	0.0091
16	1856	निजी	कृषि	0.1693
17	1857	निजी	कृषि	0.0058
18	1859	निजी	कृषि	0.0065
19	1925/1	निजी	कृषि	0.0091
20	1926	निजी	कृषि	0.0297
21	1932	सरकारी	बंजर	0.0006
22	1933	निजी	कृषि	0.2516
23	1934	सरकारी	बंजर	0.0044
24	1935	निजी	कृषि	0.0075
25	1943	सरकारी	बंजर	0.0046

26	1954	निजी	कृषि	0.0132
27	2314/1942	निजी	कृषि	0.0103
28	2315/1942	निजी	कृषि	0.0256
29	2316/1942	निजी	कृषि	0.0649

[कम्प्यूटर नं. 263689 फा.सं.ई.-पमरे-कोटा0जीएसयु 2(आरओबि)/2/2024 कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबंधक-2 / पमरे/कोटा]

एम. आर. एस. चौधरी, मुख्य परियोजना प्रबंधक/ जीएसयु -2

MINISTRY OF RAILWAYS

(West Central Railway)

NOTIFICATION

Kota, the 13th February, 2025

S.O. 766(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred in as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Nagda – Kota section in Jhalawar District Construction of Road Over Bridge on LC No. 28 Project in District Jhalawar in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land :

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Divisional Officer, Gangdhar, District Jhalawar, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20 (D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within, for the Special Railway Project namely: Nagda – Kota section in Jhalawar District Construction of Road Over Bridge on LC No. 28 in District Jhalawar in the State of Rajasthan.

State : Rajasthan			District : Jhalawar	
Village : Kitiya			Taluka : Gangdhar	
Sl. No.	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area of the Land (in hectare)
1	1641	Government	Gai.mu. Chah	0.0183
2	1642	Government	Banjar	0.0108
3	1645	Private	Agriculture	0.0352
4	1646/1	Private	Agriculture	0.1366
5	1827/1	Private	Agriculture	0.0035
6	1828	Private	Agriculture	0.0131

7	1828/1	Private	Agriculture	0.0083
8	1829	Private	Agriculture	0.0183
9	1829/1	Private	Agriculture	0.0036
10	1830	Government	Banjar	0.0898
11	1831	Private	Agriculture	0.0103
12	1852	Private	Agriculture	0.0609
13	1853	Government	Banjar	0.0537
14	1854	Government	Gai.mu.Rasta	0.0861
15	1855	Private	Agriculture	0.0091
16	1856	Private	Agriculture	0.1693
17	1857	Private	Agriculture	0.0058
18	1859	Private	Agriculture	0.0065
19	1925/1	Private	Agriculture	0.0091
20	1926	Private	Agriculture	0.0297
21	1932	Government	Banjar	0.0006
22	1933	Private	Agriculture	0.2516
23	1934	Government	Banjar	0.0044
24	1935	Private	Agriculture	0.0075
25	1943	Government	Banjar	0.0046
26	1954	Private	Agriculture	0.0132
27	2314/1942	Private	Agriculture	0.0103
28	2315/1942	Private	Agriculture	0.0256
29	2316/1942	Private	Agriculture	0.0649

[Computer No: 263689 F. No. WCR-KOTA0GSU2(ROB)/2/2024-O/o CPM/GSU-II/WCR/KOTA]

M.R.S. CHOWDARY, Chief Project Manager/ GSU-2